# पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक

## ■ पटना में 40 माइक्रॉन से पतले पॉलीथिन का नहीं होगा इस्तेमाल

**संवाददाता** ■ पटना

पटना नगर निगम ने शहर में 40 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इससे मोटा पॉलीथिन भी अब मुफ्त में नहीं मिलेगा. सामान खरीदने पर इसके लिए अलग से पैसा देना होगा. मंगलवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मेयर अफजल इमाम ने की. मेयर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में केंद्र सरकार की नियमावली पहले से तैयार है. इसी का प्रस्ताव तैयार कर नगर निगम

▶ **मोटे पॉलीथिन के लिए अलग से देना होगा पैसा**

शेष पेज 19 पर

**1000** मीटरिक टन कचरा शहर में हर दिन निकलता है

**200** मीटरिक टन पॉलीथिन होता है कचरा में

### न सड़ता है, न गलता है

प्लास्टिक न तो सड़ता है और न ही गलता है. 100 साल मिट्टी में दबे रहने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता. इसका पर्यावरण पर काफी बुरा असर होता है. बैक्टीरिया इसे डिकंपोज नहीं कर पाते. इसके अलावा इससे ड्रेनेज सिस्टम चॉक हो जाता है. प्लास्टिक खाने पर जानवरों की मौत भी हो सकती है.

**डॉ एके घोष**, पर्यावरणविद

jetScreenshot